समाहरणालय, मधेपुरा
(विधि-व्यवस्था कोषांग)

दिनांक 10-04-2019 को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष, मधेपुरा में लोकसभा आम चुनाव-2019 एवं रामनवमी पर्व-2019 के संबंध में की गयी समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी प्रमण्डल, सहरसा का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(1) कार्मिक प्रशिक्षण :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण के संबंध में पृच्छा की गयी। नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11-04-2019 से निर्वाचन के निमित्त द्वितीय प्रशिक्षण कार्मिकों को दिया जाएगा, जो निम्न प्रकार है :-

क्र0	विधानसभा	तिथि
1	70-आलमनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	11-04-2019
2	71-बिहारीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	12-04-2019
3	72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	15-04-2019
4	73-मधेपुरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	16-04-2019
5	गश्ती दल /सेक्टर मजिस्ट्रेट (सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी) 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर	17-04-2019 (प्रथम पाली)
6	72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गश्ती दल /माईक्रो ऑब्जर्बर/ सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण	17-04-2019 (द्वितीय पाली 02:00 बजे अप0 से 05:00 बजे अप0 तक)
7	70, 71, 73 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के माईक्रो ऑब्जर्बर का प्रशिक्षण	18-04-2019

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा बताया गया कि सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल-20 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया, जिस कारण उस क्षेत्र में डबल बैलेट युनिट लगाया जाएगा। सिंहेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सुपौल लोकसभा निर्वाचन में पड़ता है। इसलिए सिंहेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी डबल बैलेट युनिट लगाया जाना वांछनीय है। नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र के सभी कार्मिकों /पदाधिकारियों यथा-

पी0सी0सी0पी0, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माईक्रो ऑब्जर्बर को द्वितीय प्रशिक्षण में विशेष रूप से डबल बैलेट युनिट जोड़ने के संबंध में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे। यह भी निदेश दिया गया कि इस संबंध में QRT को भी प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग)

(2) ई0भी0एम0 :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, ई0भी0एम0 कोषांग से ई0भी0एम0 के रैण्डमाईजेशन एवं सिलिंग के संबंध में पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में डबल ई0भी0एम0 सेट लगाया जाएगा। इसके निमित्त सभी आवश्यक तैयारी पूर्णरूप से सुनिश्चित कर लें। साथ ही प्रत्येक ई0भी0एम0 मशीनों का भौतिक जांच अनिवार्य रूप से गहनतापूर्वक करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, ई0भी0एम0 कोषांग)

(3) वाहन कोषांग :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, वाहन कोषांग से निर्वाचन कार्यो के निमित्त अधिग्रहित किए गए वाहनों के संबंध में पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में डबल ई0भी0एम0 सेट लगाया जाएगा। इसके निमित्त वाहनों का आकलन कर समुचित व्यवस्था स-समय अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग)

(4) SVEEP :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, स्वीप कोषांग से निर्वाचन कार्यो के निमित्त जागरूकता अभियान के संबंध में पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में डबल ई0भी0एम0 सेट लगाया जाएगा। इसके निमित्त 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के बीच डबल ई0भी0एम0 सेट के संबंध में व्यापक एवं स्पष्ट रूप से जागरूकता अभियान स-समय कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, SVEEP कोषांग)

(5) सामग्री कोषांग :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, सामग्री कोषांग से क्रय की गयी सामग्रियों के संबंध में पृच्छा की गयी एवं निदेश दिया गया कि सामग्रियों के क्रय में मानक के अनुरूप गुणवत्ता का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि 72-सिंहेश्वर (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में डबल ई0भी0एम0 सेट लगाया जाएगा। इसके निमित्त उस क्षेत्र हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री मुहैया कराने हेतु अनिवार्य रूप से स-समय अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, सामग्री कोषांग)

(6) आदर्श आचार संहिता :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, मधेपुरा से आदर्श आचार संहिता के तहत् की गयी कार्रवाई के संबंध में पृच्छा की

गयी। वरीय पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 37 मामलें इस जिले में पाये गये एवं इस संबंध में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसमें 03 राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलें दर्ज है। आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को निदेश दिया गया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलें में विशेष रूप से सतर्कता बरतते हुए पारदर्शी एवं समान रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग)

(7) PwDs मतदाता :–

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी, ***SVEEP*** कोषांग से PwDs मतदाता हेतु आवश्यक सुविधा यथा– व्हील चेयर, स्वयंसेवक के संबंध में पृच्छा की गयी। वरीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 104 PwDs मतदाता मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया गया है, जहां व्हील चेयर की व्यवस्था की गयी है एवं स्वयंसेवकों यथा–स्काउट, आशा, ऑगनवाड़ी सेविका /सहायिका को लगाया जाएगा, ताकि मतदान केन्द्र पर आने वाले दिव्यांग मतदाताओं के साथ अच्छा व्यवहार, प्राथमिकता के आधार पर मतदान का अवसर प्रदान किया जाए।

(अनुपालन–वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, SVEEP कोषांग)

(8) महिला एवं दिव्यांग मतदान केन्द्र :–

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा महिला एवं दिव्यांग मतदान केन्द्र के संबंध में पृच्छा की गयी। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिला के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निम्नवत् महिला मतदान केन्द्र एवं दिव्यांग मतदान केन्द्र बनाया जाएगा :–

AC No. Name	Booth	General party (Male)	Polling party With Reserve (Male)	Women Party Booth	Women Party with Reserve	Handicapped Booth	Handicappted party With Reserve (Male)	PCCP with Reserve	MAG No.	MIC Observer	General party / Total party	Sector
70-Alamnagar	332	331	365	1 (Booth No 170-Vijya Smarak, Kanya Uchh School, Alamnagar ka Purab Bhawan)	2	0	0	115 (104)	1-115		365/367	33
71-Bihariganj	301	300	330	1 (Booth No 283-Bikas Bhawan Prakhand Mukhyalaya, Udakishunganj Left Side)	2	0	0	114 (103)	116-229		330/332	26
72-Singheshwar	311	310	341	1 (Booth No 41-Sikshan Prashikshan Maha Sch Sukhasan Left Side)	2	0	0	114 (103)	230-343		341/343	33
73-Madhepura	341	339	373	1 (Booth No 220-Keshav Kanya High School, Madhepura Middle Side)	2	1 (Booth No 209 Shivnandan Prasad Mandal Inter School, Madhepura, East side)	2	112 (101)	344-455		373/377	32

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि महिला मतदान केन्द्रों पर सभी कर्मी महिला ही हो एवं सभी राजनीतिक दलों से यह विशेष अनुरोध करें कि इन महिला मतदान केन्द्रों पर राजनीतिक एजेन्ट के रूप में महिला एजेन्ट को ही प्रतिनियुक्त करें।

(अनुपालन-वरीय पदा0 /नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग/ उप निर्वाचन पदा0, मधेपुरा)

(9) रूट सत्यापन :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आंधी-तूफान/ बारिश को देखते हुए अपने-अपने विधानसभावार कम्प्युनिकेशन प्लान के अनुसार रूट का पुनः सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पी0सी0सी0पी0 को मतदान केन्द्रों तक आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(अनुपालन-सभी सहायक निर्वाची पदा0)

(10) मॉक पोल (पूर्वाभ्यास) :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा नोडल पदाधिकारी, Quick Response Team को निदेश दिया गया कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व विधिवत् मॉक पोल (पूर्वाभ्यास) अनिवार्य रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, QRT)

(11) बलों की प्रतिनियुक्ति :-

आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा नोडल पदाधिकारी, अर्द्धसैनिक बल कोषांग को निदेश दिया गया कि विधानसभावार संवेदनशील /अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों हेतु बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही प्रतिनियुक्त बलों को स्थानीय स्तर पर एक सूची भी उपलब्ध करायेंगे, जिसमें उनके उपयोग में आने वाले सामानों को उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों का नाम एवं मोबाईल नं0 अनिवार्य रूप से अंकित हो। यह भी निदेश दिया गया कि अन्य जिले से आने वाले बलों हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था स-समय कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, अर्द्धसैनिक बल कोषांग)

(12) रामनवमी पर्व-2019 :-

पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा द्वारा रामनवमी पर्व-2019 के अवसर पर की गयी तैयारी के संबंध में पृच्छा की गयी। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल अन्तर्गत रामनवमी पर्व-2019 के अवसर पर 18 पूजा समितियों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है, जिसमें 02 संवेदनशील जगह है, जहां पर बलों की प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गयी है। इस संबंध में थानावार शांति समिति की बैठक भी कर ली गयी है। बताया गया कि मधेपुरा प्रखण्ड में 13-04-2019 एवं मुरलीगंज प्रखण्ड में 14-04-2019 को रामनवमी पूजा सम्पन्न होगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेश दिया गया कि रामनवमी पर्व-2019 के अवसर पर विधि-व्यवस्था की आदर्श स्थिति को बनाए रखने हेतु एहतियातन सतर्कतामूलक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा बताया गया कि रामनवमी पर्व के अवसर पर जिले के विभिन्न भागों में शोभा यात्रा निकाला जाता है, जिसमें पारम्परिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया जाता है। इस दौरान विधि-व्यवस्था की आदर्श स्थिति भंग होने की संभावना बनी रहती है। अनुमण्डल

पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विधि–व्यवस्था की आदर्श स्थिति बनाए रखने हेतु जिले के वैसे दुकानों जहां तलवार, भाला, फरसा आदि पारम्परिक हथियार /औजार की बिक्री की जाती है, उन दुकानों में छापामारी कर विधिसम्मत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–अनु0पदा0/अनु0पु0पदा0, मधेपुरा/उदा0)

अन्त में आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा एवं पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा द्वारा स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में लोक सभा आम चुनाव–2019 एवं रामनवमी पर्व–2019 सम्पन्न कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के अपील के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

11/4/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिलाधिकारी, मधेपुरा।

11/4/19

आयुक्त,
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

11/4/19

ज्ञापांक.....1008...../गो0, मधेपुरा, दिनांक.....11/04/2019

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /वरीय पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी, लोकसभा चुनाव, 2019 /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिलाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

11/4/19

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।